SOUTH EAST UP POWER TRANSMISSION CO. LTD.

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

409, 4th Floor, Shalimar Titanium
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com

No. – SEUPPTCL/LKO/2025/1299

Date: 30/08/2025

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ (उ०प्र०)

विषय : साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 400के० वी० डबल सर्किट मैनपुरी - अलीगढ द्विपथ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01वृक्ष के पातन, अलीगढ में 1.8354हे० आरक्षित व 0.0276हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80वृक्षों के पातन कुल 3.177404हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83वृक्षों के पातन की अनुमति ।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक : 2973 / 14-10, अलीगढ : फ़रवरी, 06-2024.

महोदय,

उपरोक्त पत्रांक का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमे प्रयोक्ता अभिकरण को NPV के रेट में परिवर्तन होने के कारण Differential अमाउंट को ई-पेमेंट के माध्यम से जमा करने के लिए आदेशित किया गया था।
इसी क्रम में आपको अवगत कराना है कि उपरोक्त धनराशि ई - पेमेंट के माध्यम से संलग्न विवरण के साथ जमा कर दिया गया है।
कृपया ऑनलाइन प्रकरण के प्रपोजल संख्या - FP/UP/TRANS/13285/2015 में स्टेज - २ जारी करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

धन्यवाद,

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. LUCKNOW

अनुराग शुक्ला
ग्रुप हेड

प्रतिलिपि :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को उनके पत्र 1050 दिनांक: हाथरस / अक्टूबर 11-2023 दिनांक 11-10-23 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को उनके पत्र 1532 दिनांक : एटा / 20 जनवरी, 2024, दिनांक 20-01-2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. वन संरक्षक, अलीगढ वृत, अलीगढ को सूचनार्थ।
4. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ० प्र० लखनऊ को सूचनार्थ।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 26-02-2024

Agency Name.	SOUTH EAST UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
Application No.	6413285846
MoEF/SG File No.	8B/UP/04/99/2016/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Shalimar Titanium, 601-602, 6th Floor, Plot No. TC/G-1/1, Vibhuti Khand, Gomati NagarLucknow
Amount(in Rs)	3870515.36/-

Amount in Words :Thirty-Eight Lakh Seventy Thousand Five Hundred and Fifteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150906413285846 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 26-02-2024

Agency Name.	SOUTH EAST UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
Application No.	6413285846
MoEF/SG File No.	8B/UP/04/99/2016/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Shalimar Titanium, 601-602, 6th Floor, Plot No. TC/G-1/1, Vibhuti Khand, Gomati Nagar Lucknow
Amount(in Rs)	3870515.36/-

Amount in Words :Thirty-Eight Lakh Seventy Thousand Five Hundred and Fifteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150906413285846 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 3973/14–10, अलीगढ़: दिनांक: फरवरी, 06 2024

सेवा मे,

जनरल मैनेजर
साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि०,
ऑफिस नं० 116, प्रथम तल,
लेवाना साइबर हाइटस,
इन्दा गांधी प्रतिष्ठान के पीछे,
विभूति खण्ड, लखनऊ–226010।

विषय:– साउथ–ईस्ट यू०पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा 400 के०वी० डबल सर्किट मैनपुरी–अलीगढ द्विपथ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन, अलीगढ़ में 1.8354 हे0 आरक्षित व 0.0276 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन कुल 3.177404 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/04–99/2016/एफ0सी0/15 दिनांक 10.04.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नाडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 3240/11–सी. दिनांक 11.04.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–4033/14–10 दिनांक 24.04.2023

उपरोक्त विशयक प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.03.2017 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रेषित अनुपालन आख्या में निम्न आपत्तियाँ लगाई गयीं है–

1. The NPV and penal NPV shall be deposited on revised rates as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022. As per Para 1.21 (ii) of Comprehensive Guidelines. Penal NPV of five (5) times the NPV of area under violation plus 12 percent simple interest till the deposit is made, should be imposed and deposited.
2. In case of public utility projects of the Government, the penalty shall be 20% of the penalty proposed.

इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.03.2022 के पत्र में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है।

a. New rates will be applicable on all the proposals that have been granted Stage -I / in-principle approval after 06.01.2022.
b. The new rates will also be applicable on all the cases that were granted Stage -I / in-principle approval prior to 06.01.2022 and where even after lapse of 5 years, the Stage – II / Final approval is not granted due to non-submission of complete compliance of the conditions stipulated in Stage -I / in-principle approval.

प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.03.2017 को कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत की गयी है, जो कि 06.01.2017 के पश्चात् एवं 06.01.2022 से पूर्व निर्गत की गयी है तथा 05 वर्ष के बाद भी स्टेज–2/विधिवत स्वीकृति अनुपालन आख्या प्रेषित न किये जाने के कारण निर्गत नहीं हो सकी।

अतः इस कार्यालय के पत्रांक–1564/14–10 दिनांक 19.10.2023, प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस का पत्रांक–1050/14–10 दिनांक 11.10.2023 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के पत्रांक–1532/14–1 दिनांक 20.01.2024 के द्वारा भारत सरकार के पत्रांक–5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 22.03.2022 के अनुसार धनराशि ई–पेमेन्ट से उत्पन्न चालान के द्वारा जमाकर प्राप्ति रसीद/पेमेन्ट हिस्ट्री उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिय गय है।

1. अलीगढ़ वन प्रभाग, एटा वन प्रभाग एवं हाथरस वन प्रभाग द्वारा प्रेषित भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पेरा–वी–2 के अनुसार दण्डात्मक एन.पी.वी. की गणना शीट संलग्न कर संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में प्रभागवार निम्न प्रकार धनराशि जमा कराने का कष्ट करें।

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	मद का नाम	भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पेरा बी. (ii) के अनुसार तैयार की गयी गणना शीट के अन्तर्गत जमा की जाने वाली धनराशि।	भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के पेरा सी. (ii) के अनुसार जमा की गयी धनराशि।	वर्तमान में जमा की जाने वाली धनराशि।
1	अलीगढ़	एन.पी.वी.	1784344.14	1166238.00	618106.00
2		दण्डात्मक एन.पी.वी.	2059276.00	466495.00	1592781.00
3	हाथरस	एन.पी.वी.	818327.00	534855.00	283472.00
4		दण्डात्मक एन.पी.वी.	944415.00	213972.00	730473.00
5	एटा	एन.पी.वी.	515322.36	336812.00	178510.36
6		दण्डात्मक एन.पी.वी.	601897.00	134725.00	467172.00
		योग	**6723581.5**	**2853097.00**	**3870514.36**

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

06/02/24

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को विंशयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को उनके पत्रांक–1050/14–1 दिनांक 11.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को उनके पत्रांक–1532/14–1 दिनांक 20.01.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।